

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०

संख्या-एमई-3/2017/ 1033

लखनऊ:दिनांक- 04 अगस्त,2017

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश संख्या-4058/71-2-2016-37/2016 दिनांक-22 सितम्बर,2016 द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों तथा निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम की अस्थायी रूप से शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु अन्तरिम शुल्क फ्लैट दर से रू० 11,30,000/- (रू० ग्यारह लाख तीस हजार मात्र) से अनधिक प्रति छात्र/प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था।

1- शासनादेश संख्या-2467/71 2-17-37/2015 दिनांक-14/07/2017 द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के लिए निम्नलिखित मेडिकल कालेजों हेतु शुल्क का निर्धारण किया गया है, निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं।

2- चूंकि शासनादेश संख्या-4058/71-2-2016-37/2016 दिनांक-22 सितम्बर,2016 द्वारा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों तथा निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम की अस्थायी रूप से शैक्षणिक सत्र 2016-17 हेतु अन्तरिम शुल्क फ्लैट दर से रू० 11,30,000/- (रू० ग्यारह लाख तीस हजार मात्र) निर्धारित किया गया था। अतः शैक्षणिक सत्र 2016-17 में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों से शासनादेश संख्या-2467/71 2-17-37/2015 दिनांक-14/07/2017 द्वारा एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित निम्नानुसार शुल्क लिया जायेगा।

| क्र०सं० | संस्था का नाम | प्रति छात्र/प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने वाला शुल्क (धनराशि रू० लाख में) |
|---------|---|---|
| 1 | हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सफेदाबाद,बाराबंकी | 8.50 |
| 2 | कान्ती देवी मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, मथुरा | 11.47 |
| 3 | मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, बाराबंकी | 10.67 |
| 4 | राजश्री मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली | 9.84 |
| 5 | श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज,बरेली | 11.44 |
| 6 | रामा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, कानुपुर | 9.90 |
| 7 | रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, हापुड़ गाजियाबाद | 10.37 |
| 8 | रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली | 10.81 |
| 9 | सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, हापुड़ | 11.05 |
| 10 | सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव | 10.55 |
| 11 | टी०एस०एम० मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल,लखनऊ | 11.04 |
| 12 | वरुण अर्जुन मेडिकल कालेज, बन्धरा, शाहजहापुर | 11.10 |
| 13 | हैरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, वाराणसी | 10.31 |
| 14 | मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर | 10.59 |
| 15 | स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा | 11.50 |
| 16 | हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, अटरिया सीतापुर | 9.88 |
| 17 | सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ | 8.50 |
| 18 | मेजर एस०डी० सिंह मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, फर्रुखाबाद | 8.50 |
| 19 | श्री वेकटेश्वर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, अमरोहा | 8.50 |
| 20 | जी०सी०आर०जी० इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ | 8.50 |
| 21 | प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ | 8.50 |
| 22 | कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज, मथुरा | 8.50 |
| 23 | जी०एस० मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआ हापुड़ | 8.50 |

अतः शैक्षणिक सत्र 2016-17 में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों से शासनादेश संख्या-2467/71 2-17-37/2015 दिनांक-14/07/2017 द्वारा एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित उक्तानुसार शुल्क लिया जाना सुनिश्चित करें।

महानिदेशक

संख्या:-एम०ई०-3/2017/ 1033(i)

तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 ।
2. प्रधानाचार्य/प्रबन्धक, निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेज, उ०प्र०।

(के० के० गुप्ता)
महानिदेशक